

2015-2016

अभियंता-सि.प्र. शा.सं. की सेवा में 2016

व्यक्ति के सम्बन्ध में अचल संपत्ति का विवरण वर्ष

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम डा. अशोक शर्मा 2. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ प्रो. प्रोफेसर 3. कार्यालय का नाम पी.एम.ए.सी. भोपाल
 4. वर्तमान वेतन 26050 + 4400 5. मन्विक्र निधि क्रमांक 1473608 6. कर्मचारी संख्या 9049464

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जितकी गई हो उसका नाम तथा ब्योरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
काठकुन्दा जिले में भोपाल	भवन	—	28 लाख	स्वयं	बैंक लोन द्वारा	—	

हस्ताक्षर

डा. अशोक शर्मा

नाम

डा. अशोक शर्मा

पद

वरिष्ठ प्रो. प्रोफेसर

* जहां लागू न हो काट दीजिए

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी—मंडल द्वारा ग्राह्य स.प्र. शा.सं. की सेवा में (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे।

— कार्यालय संपत्ति का नाम जाना सुनिश्चित करें।